यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी) के माह 04/15 से 09/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2017 से 01.11.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कार्यरत महिलाओं को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आदि प्रदान करना, बच्चों व वृद्ध महिलाओँ को पोषण हेतु अनुपूरक पोषाहार प्रदान करना। नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र।
3. इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय- नंदा देवी कन्या योजना, वृद्ध महिला पोषण, अनुपूरक पोषाहार

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत/समपर्ण (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	0	0	201.47	175.90	167.73	163.83	-	29.47
2016-17	0	0	221.21	201.26	141.50	108.97	-	52.48
2017-18 (10/17 तक)	0	0	177.29	57.54	90.16	32.66	-	177.26

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	अनु. जाति मानदेय	-	1235000	1234997	3
	अनु. जाति कुक्ड-फूड एवं टी.एच.आर.	-	4000000	3625450	374550
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा प्रचार-प्रसार	-	20000	10685	9315

	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	-	73000	56890	16110
	स्टॉफ पर व्यय	-	12556000	10899565	1656435
	परिवीक्ष सेवा	-	421300	413725	7575
2016-17	अनु. जाति मानदेय	-	2120000	2068300	51700
	अनु. जाति कुक्ड-फूड एवं टी.एच.आर.	-	0	0	0
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा प्रचार-प्रसार	-	19000	13412	5588
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	-	64000	46090	17910
	स्टॉफ पर व्यय	-	11694250	10673326	1020924
2017-18 upto sept-2017	अनु. जाति मानदेय	-	1727000	1221000	-
	अनु. जाति कुक्ड-फूड एवं टी.एच.आर.	-	3900000	766307	-
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा प्रचार-प्रसार	-	10000	0	-
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	-	0	0	-
	स्टॉफ पर व्यय	-	8147350	1817102	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2015 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नंदा देवी कन्या योजना, वृद्ध महिला पोषण निर्माण, अनुपूरक पोषाहार का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -1 : विभागीय उदासीनता के कारण नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 236 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखे जाने के परिणामस्वरूप रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 35.40 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नंदा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में 5000/- की धनराशि बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर a/c payee चेक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रु. 10000/- की धनराशि की F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जाएगी। IInd किश्त के रूप में कन्या के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः माता पिता के खाते में E-transfer के माध्यम से रू. 5000/- की धनराशि हस्तांतिरत की जाएगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षो की अवधि के लिए F.D कर दी जाएगी जिससे IIIrd एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, Highschool में अध्यानरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में योजना हेतु कुल 236 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह सभी आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर (जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय) न भेजे जाकर इकाई द्वारा अपने पास ही रखे गए थे, जिससे इन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही न होने से 236 आवेदनकर्ता इस योजना के लाभ से वंचित थे तथा इन आवेदन पत्रों को जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु न भेजे जाने से रु. 35,40,000/- की धनराशि का भुगतान लंबित था। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कुछ आवेदनपत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इनकों स्वीकृति हेतु समय से जिला स्तर पर नहीं भेजा जा सका इनको शीघ्र स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा तथा आवेदनपत्रों के स्वीकृत होने के बाद बजट की मांग की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा जून 2017 तक प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर भेजने हेतु पर्याप्त समय था। अतः विभागीय उदासीनता के कारण 236 लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित थे जिनकों रु. 15000/- प्रति की दर से रु. 35.40 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -2: ब्याज प्राप्ति रु. 1,61,913/- की धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनाँक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियममितता है तथा निर्देशित किया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनाँक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगाँव, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गयाकि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में कुल `1,62,138/- का ब्याज अर्जित किया गया था जो लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2017)तक बैंक खातों में ही पड़ा था । उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की राशिको जानकारी के अभाव में जमा नहीं कराया गया था इसको शीघ्र जमा कराया जाएगा ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः ` 1,62,138/- की ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगाँव, उत्तरकाशी ।

बैंक खाता संख्या: 11824218987.

तिथि	प्राप्त ब्याज की धनराशि (` में)
25.06.2015	3455=00
25.12.2015	4699=00
25.06.2016	35778=00
25.09.2016	12310=00
25.12.2016	10819=00
25.03.2017	22600=00
25.06.2017	41802=00
25.09.2017	30450=00
योग -	**161913=00**

भाग-दो(ब)

प्रस्तर- 3: वर्ष 2015-16 में रु. 162.82 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रु. 108.95 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनाँक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनाँक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था ।

मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों को हस्तांतरित धनराशि के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य सेविका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रु. 140.00 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष वर्ष 2015-16 में रु. 136.13 लाख का व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि समर्पित की गई थी तथा वर्ष 2016-17 में रु. 131.50 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष वर्ष 2016-17 में रु. 98.96 लाख का व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि समर्पित की गई थी । व्यय की गई धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि माता समितियों को दी गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सुपरवाईजरों को निर्देशदिये जा रहे है

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है । अतः वर्ष वर्ष 2015-16 में रु. 162.82 तथा वर्ष 2016-17 में रु. 108.95 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती नीरू भटनागर	सी.डी.पी.ओ.	01.04.2015 से 31.07.2016
2.	श्रीमती मीना शाह	सी.डी.पी.ओ.	01.08.2016 से 30.09.2017
3.	श्री मोहित चौधरी	डी.पी.ओ.	01.10.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव (उत्तरकाशी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र